

CMO CHHATTISGARH

नया रायपुर, दिनांक: ०४/१०/२०२५

//आदेश//

क्रमांक ई १-०३/२०२४/एक-२:: राज्य शासन एतद्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (२००३) सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वासि विभाग तथा अति. प्रभार पदेन राहत एवं पुनर्वासि आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

२/ श्री अन्बलगन पी. भा.प्र.से. (२००४), सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग को केवल सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

३/ श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (२००५), सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

४/ श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (२००९), विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

५/ श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (२०१०), विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विशेष सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड के पद पर पदस्थ करता है।

श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, २०१६ के नियम-१२ के तहत प्रबंध संचालक, मार्कफेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

६/ श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (२०११), संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

7/ श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, भू-अभिलेख का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, भू-अभिलेख के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

8/ डॉ. फरिहा आलम, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

CMO CHHATTISGARH

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक: 08/10/2024

पृ.क्र.: ई 1-03/2024/एक-2

प्रतिलिपि:-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन/धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/जनशिकायत एवं निवारण/स्कूल शिक्षा/श्रम विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
10. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
11. सदस्य, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क/भू-अभिलेख,